

ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

1. ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना :-

- **ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया**— आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 40/- (रु. 30/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर वेबसाइट www.exampraj.rajasthan.gov.in से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- सेवा शुल्क देना होगा। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को 30/- रुपये की रसीद पृथक से कटवानी होगी।
- **परीक्षा शुल्क** :- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से विभाग को देगा :-

क्र.स	वर्ग	निर्धारित परीक्षा शुल्क (रुपये में)
1	अनारक्षित (अन्य पिछड़ा वर्गों के क्रीमीलेयर सहित)	500/-
2	अन्य पिछड़ा वर्गों (नोन क्रीमीलेयर) तथा एससी/एसटी (नोन टीएसपी क्षेत्र)	250/-
3	एससी/एसटी (टीएसपी क्षेत्र), किशनगंज तथा शाहबाद तहसील क्षेत्र के सहरिया तथा निःशक्तजन	100/-
4	राजस्थान राज्य से बाहर के समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी	500/-

- नोट :-**
1. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.exampraj.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क उपलब्ध होगा।
 2. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से submit करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं।
- **समय**— आवेदन की अन्तिम दिनांक 22 मार्च, 2013 को रात्रि 12-00 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने सम्बंधी सामान्य निर्देश :-

1. अभ्यर्थी परीक्षा के संदर्भ में प्रकाशित विज्ञापन में दिए गए निर्देश एवं विहित पात्रता के विस्तृत अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।
2. आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से विभाग को देगा। परीक्षा शुल्क नगद जमा कराते समय अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, मूल निवास एवं जिला जिसमें आवेदन कर रहा है, दर्ज करवायेगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नम्बर जारी किया जायेगा। उक्त टोकन नम्बर ऑनलाइन

आवेदन पत्र भरते समय अंकित (enter) करना अनिवार्य होगा। **टोकन नम्बर अंकित (enter) किये बिना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं होगा।**

3. ऑनलाईन आवेदन में सामान्य आवेदन पत्र की ही भांति अभ्यर्थी को कॉलम की पूर्ति करनी होगी (शुल्क जमा कराने की रसीद के अनुसार स्वतः अंकित होने वाली प्रविष्टियों के अलावा) आवेदक को आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर Submit ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन भरने में त्रुटि न हो इसके लिए वे प्रथमतः विभाग की वेबसाइट से ऑफलाईन आवेदन पत्र के प्रपत्र का प्रिन्ट आउट लेकर समस्त कॉलम की पूर्ति पेन से करें। सभी प्रविष्टियों का सही होना सुनिश्चित कर लें। विशेषतः ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आवेदन करते समय उन्हें अपने द्वारा भरा हुआ प्रपत्र दे दें और कियोस्क धारक द्वारा अंतिम रूप से फार्म Submit करने से पूर्व उसका प्रिन्ट आउट भी ले लें।
4. आवेदक को आवेदन के साथ अपने फोटोग्राफ एवं स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी Submit करनी होगी। अभ्यर्थी अपने साथ अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की डिजिटल/सॉफ्ट कॉपी भी सीडी या पेन ड्राइव में ले जा सकते हैं। इस हेतु अपने साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी कियोस्क पर साथ लाएं या फिर कियोस्क धारक के पास उपलब्ध कैमरे से अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं।
5. आवेदक यह ध्यान रखें कि विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया ऑनलाईन आवेदन में भरी सूचना के आधार पर ही आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी एवं यदि आवेदक उसके द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर अपात्र पाया जाता है तो चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों में बाद में किसी परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं इस सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में रिक्त स्थान (Fields) दो प्रकार के हैं:-

1. जिनमें आवेदक को पूरी सूचना स्वयं भरनी है।

2. जिनमें आवेदक को मांगी गई सूचना के समक्ष अंकित विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। (ऑनलाईन आवेदन में चयनात्मक विकल्प दो प्रकार के हैं- कुछ बिन्दुओं पर उनके सामने Dropdown Menu से सलेक्ट करना होगा और कुछ में Radio Button/Box में क्लिक करना होगा)

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर निर्धारित फीस जमा कराने के उपरान्त अभ्यर्थी को रसीद के साथ एक **16 अंकों वाला टोकन नम्बर** प्राप्त होगा। अभ्यर्थी चाहे

नोट: आवेदन पत्र प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त Application ID/पंजीकरण संख्या प्रदर्शित होगी, जिसे नोट कर लें। यह आवेदन पत्र के सम्बन्ध में संबंधित जिला परिषद के साथ संवाद के लिए महत्वपूर्ण है।

पत्र जमा कराए। मूल आवेदन पत्र के विभिन्न बिन्दुओं को भरने संबंधी निर्देश निम्नानुसार अंकित हैं।

3. ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र भरने सम्बंधी बिन्दुवार निर्देश

आवेदन पत्र मुख्यतः सात भागों में विभक्त है और प्रत्येक भाग में बिन्दुवार अलग-अलग सूचना भरी जानी होगी

बिन्दु सं. 1 : भर्ती का विवरण

1.1 भर्ती का नाम अंकित है।

1.2 आवेदित पद अंकित है।

बिन्दु सं. 2 : आवेदक का विवरण

बिन्दु सं. 2.1 : शुल्क जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण के अनुसार स्वतः दर्ज होगा।

बिन्दु सं. 2.2 : शुल्क जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण के अनुसार स्वतः दर्ज होगा।

बिन्दु सं. 2.3 : आवेदक अपनी माता के नाम की पूर्ति करें। नाम के साथ Smt. Mrs., Dr. आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करें।

बिन्दु सं. 2.4 : आवेदक पुरुष/महिला में से एक विकल्प का चयन करें।

बिन्दु सं. 2.5 : आवेदक वैवाहिक स्थिति हेतु उपलब्ध विकल्प— विवाहित, अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता— में से कोई एक विकल्प का चयन करें।

बिन्दु सं. 2.6 : शुल्क जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण के अनुसार स्वतः दर्ज होगा।

बिन्दु सं. 2.7 : शुल्क जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण के अनुसार स्वतः दर्ज होगा। यदि अभ्यर्थी निःशक्तजन है, तो उपलब्ध विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन करें।

बिन्दु सं. 2.8 : उपलब्ध विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन करें।

बिन्दु सं. 2.9 : शुल्क जमा कराने की रसीद में अंकित विवरण के अनुसार स्वतः दर्ज होगा।

आवेदक यदि राजस्थान राज्य का मूल निवासी है तो अपने स्थाई निवास के जिले का चयन करें। यदि आवेदक राजस्थान से भिन्न राज्य का मूल निवासी है तो अपने राज्य का चयन करें।

स्पष्टीकरण :—अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जाति राजस्थान राज्य में भी आरक्षित वर्ग में अधिसूचित की हुई है, एवं उक्त राज्य में भी उस जाति को आरक्षण का लाभ देय है, ऐसे अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में ही आवेदन करें।

बिन्दु सं. 2.10 : आवेदक अपनी नागरिकता का चयन करें।

बिन्दु सं. 3 : अन्य विशेष श्रेणियों का विवरण

बिन्दु सं. 3.1 : यदि आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो 'हाँ' में क्लिक करें अन्यथा 'नहीं' में क्लिक करें। यदि आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो अपने पेंशन अदायगी आदेश नम्बर का उल्लेख करें।

स्पष्टीकरण :—भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना, जलसेना, वायु सेना के किसी भी रैंक में, योद्धक या योद्धक—भिन्न के रूप में सेवा की हो और—

- (i) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवा निवृत्त हुआ हो, या
- (ii) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारों पर, जो ऐसी सेवा के लिए निर्धारित हों या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोग्यता पेंशन प्रदान की गयी हो, या
- (iii) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन में कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या
- (iv) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ

हो और जिसे सेवानिवृत्ति उपादान दिये गये हों, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के निम्नलिखित प्रवर्गों के कार्मिक भी सम्मिलित हैं

अ— लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेन्शन धारक,

ब— सैन्य सेवा के लिए निर्धारित निर्योग्यता वाले व्यक्ति,

स— वीरता पुरस्कार विजेता,

बिन्दु सं. 3.2 : यदि आवेदक उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो 'हाँ' में क्लिक करें अन्यथा 'नहीं' में क्लिक करें। यदि आवेदक उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो अपने स्तर का चयन करें।

स्पष्टीकरण :- "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फ़ेडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्र मण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

बिन्दु सं. 3.3 : यदि अभ्यर्थी ने निःशक्तजन श्रेणी में शुल्क जमा कराया है, उस स्थिति में निःशक्तजन के अंकित तीन उप श्रेणियों में से समुचित उप श्रेणी का चयन करें।

बिन्दु सं. 3.4 आवेदक दिये गये विकल्पों में से अपनी श्रेणी के अनुसार चयन करें।

बिन्दु सं. 4 : पत्राचार की सूचना

बिन्दु सं. 4.1 : अपने पत्राचार का पता पूर्ण रूप में भरें। इस भाग में आवास का नम्बर, सड़क और मोहल्ला आदि का उल्लेख करें। इसमें तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड आदि का अंकन न करें, इसके लिए बिन्दु सं. 4.2 से बिन्दु सं. 4.6 तक के निर्धारित भाग में प्रविष्टि करें।

बिन्दु सं. 4.7 : अभ्यर्थी के पास यदि बेसिक/लैंडलाइन फोन की सुविधा है तो उसका अंकन STD कोड सहित कर दें।

बिन्दु सं. 4.8 : अभ्यर्थी अपना वह 10 अंकों का मोबाईल नम्बर अंकित करें, जिस पर वे परीक्षा सम्बन्धी जानकारी एस.एम.एस. सुविधा के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। गलत मोबाईल नम्बर भरने पर आवेदक उत्तरदायी होगा।

बिन्दु सं. 4.9 : अभ्यर्थी अपना ई-मेल का पता भरें। जिन अभ्यर्थियों का ई-मेल अकाउण्ट नहीं है, वे इसे रिक्त छोड़ सकते हैं।

बिन्दु सं. 5 : शैक्षणिक योग्यता:

बिन्दु सं. 5.1 : सैकेण्डरी परीक्षा का विवरण दें। अभ्यर्थी अंकतालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का विवरण हो, स्कैन करा कर अपलोड करें।

बिन्दु सं. 5.2 : सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा का विवरण देवे। अभ्यर्थी अंकतालिका स्कैन करा कर अपलोड करें। जिन आवेदकों की सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में ग्रेड अंकित है, ऐसे अभ्यर्थी अंकतालिका की दोनों (अग्र एवं पृष्ठ) भाग की स्कैन प्रति (सिंगल फाईल बनाकर) अपलोड करावे।

बिन्दु सं. 6 : व्यावसायिक योग्यता :

बिन्दु सं. 6.1 : उपलब्ध विकल्पों में से अपनी योग्यता का चयन करें तथा चाहा गया विवरण दर्ज करें।

बिन्दु सं. 7: संविदा सेवा का विवरण:

बिन्दु सं. 7.1 : (अ) सेवा प्रदाता एजेंसी के अलावा संविदा आधारित नियोजन की प्रथम तिथि, माह तथा वर्ष अंकित करें तथा अनुभव वर्ष, माह व दिवसों में अंकित करें।

बिन्दु सं. 7.2: वर्तमान अनुभव/पदस्थापन का विवरण

(अ) उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें।

(ब) अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के बारे में उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें।

(स) वर्तमान में नियोजित पद के बारे में उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें।

(द) वर्तमान में नियोजित जिले के लिये उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें।

(य) वर्तमान में नियोजित पंचायत समिति के लिये उपलब्ध विकल्पों में से चयन करें।

(र) वर्तमान में नियोजित ग्राम पंचायत का नाम अंकित करें।

(ल) वर्तमान पद पर नियोजन की दिनांक अंकित करें।

(व) वर्तमान नियोजन के बारे में अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करें।

बिन्दु सं. 8 : पहचान संबंधी विवरण :

बिन्दु सं. 8.1 : आवेदक अपनी नवीनतम (गत् छः माह में खिंचवाई गई) रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो स्कैन करा कर या सॉफ्टकॉपी के रूप में अपलोड करें। ध्यान रखें कि फोटो का फॉरमेट निर्धारित प्रारूप (JPG, JPEG, GIF, PNG) में ही हो और 200 KB से अधिक साईज का न हो।

बिन्दु सं. 8.2 : आवेदक अपना हस्ताक्षर स्कैन करा कर या सॉफ्टकॉपी के रूप में अपलोड करें। ध्यान रखें कि हस्ताक्षर का फारमेट निर्धारित रूप में ही हो और 100 KB से अधिक साईज का न हो। हस्ताक्षर हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है और उसमें अभ्यर्थी को अपना पूरा हस्ताक्षर करना होगा, केवल संक्षिप्त हस्ताक्षर (Initials) को मान्य नहीं किया जाएगा।

बिन्दु सं. 8.3 : आवेदक अपने शरीर के उस निशान को अंकित करें, जो अमिट और सहज दृश्य हैं।

बिन्दु सं. 8.4 : ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ यहां कम्प्यूटर द्वारा स्वतः जनरेटेड एक कोड लिखा दिखाई देगा जिसे यथावत रूप में अभ्यर्थी को उसके सामने के रिक्त स्थान में भर देना होगा।

बिन्दु सं. 9 : आवेदक की घोषणा :

आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित घोषणाओं की स्वीकृति हेतु केवल बॉक्स में क्लिक करना होगा। यदि बॉक्स में क्लिक नहीं किया होगा तो उसे "नहीं" समझा जायेगा।